संख्या-101 / 2016 / 441 /चार-2016-1(बजट)2017

प्रेषक,

अनीता सी0 मेश्राम
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 18 अप्रैल, 2016

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आयोजनेत्तर पक्ष में संस्कृति निदेशालय, पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम तथा अभिलेखागार के लिये प्राविधानित धनराशियों के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-18/सं0नि0-20(आवंटन एन0पी0)/2016-17, दिनांक 06 अप्रैल,2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृति निदेशालय , वृद्ध कलाकारों को मासिक पेंशन , क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम तथा अभिलेखागार, अन्य व्यय व सैफई महोत्सव के अन्तर्गत अधिष्ठान व्यय की मदों में वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत राजस्व मतदेय के लिए आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 14,45,07,000/- (रूपये चौदह करोड पैंतालिस लाख सात हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त कुल धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निर्वतन पर रखे जाने की अनुमति भी प्रदान करते है।

2- प्रश्नगत धनराशि का आहरण वि0ह0 पुस्तिका के संगत नियमों के अनुसार राजकोष से किया जाएगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3- उक्त स्वीकृति इस प्रतिन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य स्क्षम प्राधिकारी की, जहॉ कही आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

4- अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सक्षम किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च,2016 में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन तथा इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च,2016 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव।

संख्या- 101 /2016/441 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- निदेशक, उ0प्र0 राज्य अभिलेखगार, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 101 / 2016/441 /चार-2016-1(बजट)/2017 दिनांक 18 अप्रैल2016 का संलग्नक

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये जारी स्वीकृतियों का विवरण-आयोजनेत्तर

मदें	धनराशि (हजार रूपये में)
अनुदान संख्या- 92-आयोजनेत्तर लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति 001-निदेशन तथा प्रशासन	
03- संस्कृति निदेशालय	
01- वेतन	12724
02-मजदूरी	1500
03-मॅहगाई भत्ता	17305
04-यात्रा व्यय	150
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50
06-अन्य भत्ते	1272
07-मानदेय	50
08-कार्यालय व्यय	250
09-विद्युत देय	1800
10-जलकर /जल प्रभार	50
11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	200
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100
13-टेलीफोन पर व्यय	160
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	600
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	300
18-प्रकाशन	200
29-अनुरक्षण	700
42-अन्य व्यय	24000
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	100
45-अवकाश यात्रा व्यय	100
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	400
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबन्धी स्टेशनरी	200
49-चिकित्सा व्यय	1500
51-वर्दी व्यय	50
योग-001	**63721**
102- कला एवं संस्कृति का संवर्धन	
09-वृद्ध कलाकारों लेखको को मासिक पेंशन	
20-सहायता अनुदान-समान्य (गैर वेतन)	9216
16- नये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना	
42-अन्य व्यय	5000
योग-102	**14216**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

मदें	धनराशि (हजार रूपये में)
103-पुरातत्व विज्ञान	
01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	
0101-पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम-1972 का कार्यान्वयन (के. 50/रा. 50-के+ रा.)	
01- वेतन	2184
03-मॅहगाई भत्ता	2970
04-यात्रा व्यय	160
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	30
06-अन्य भत्ते	218
07-मानदेय	20
08-कार्यालय व्यय	200
09-विद्युत देय	100
10-जलकर /जल प्रभार	30
11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	150
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100
13-टेलीफोन पर व्यय	30
17-किराया उपशुल्क	100
45-अवकाश यात्रा व्यय	100
49-चिकित्सा व्यय	100
51-वर्दी व्यय	50
योग-103	**6542**
104-अभिलेखागार -03- राज्य अभिलेख	
01- वेतन	14738
02-मजदूरी	350
03-मॅहगाई भत्ता	20044
04-यात्रा व्यय	200
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	100
06-अन्य भत्ते	1474
07-मानदेय	50
08-कार्यालय व्यय	500
09-विद्युत देय	1185
10-जलकर /जल प्रभार	1215
11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	200
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	150
13-टेलीफोन पर व्यय	165
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	80
17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	3042

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

18-प्रकाशन	200
19- विज्ञापन , बिक्री और विख्यापन व्यय	25
22-आतिथ्य व्यय /व्यय विषयक भत्ता	10
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	200
29-अनुरक्षण	370
42-अन्य व्यय	1030
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	100
45-अवकाश यात्रा व्यय	100
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	300
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/स्टेशनरी क्रय	250
49-चिकित्सा व्यय	1200
51-वर्दी व्यय	110
योग-104	**47388**
800-अन्य व्यय	
11- कला एवं संस्कृति की शिक्षा, लोक परम्पराओं का वीडियों अभिलेखीकरण, योग्य छात्रों एवं वृद्ध कलाकारों को आर्थिक सहायता योजना	
42-अन्य व्यय	2000
13-सैफई महोत्सव	
42-अन्य व्यय	10000
योग-800	**12000**
पूँजीलेखा	
4202-शिक्षा , खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	
04-कला तथा संस्कृति	
104-अभिलेखागार-03-राज्य अभिलेख	
25-लघु निर्माण कार्य	500
800-अन्य व्यय	
34-संस्कृति निदेशालय	
25-लघु निर्माण कार्य	100
योग	**600**
कुल महायोग	**144507**

(रूपये चौदह करोड पैतालिस लाख सात हजार मात्र)

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/